

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक C/1589 /

जबलपुर, दिनांक 9 / 2 / 2024

सविता धुर्वे, नवगठित सेवा के सदस्य, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर को अर्जित अवकाश खाते में अवकाश शेष न होने के कारण दिनांक 20.12.2023 से 30.12.2023 तक 11 दिवस का अवैतनिक अवकाश स्वीकृत किया गया।

माननीय रजिस्ट्रार जनरल
महोदय के आदेशानुसार


सही / -
(संजय कुमार सिंह)
रजिस्ट्रार (प्रशा.)

पृष्ठांकन क्रमांक C/1590 /

जबलपुर, दिनांक 9 / 2 / 2024

प्रतिलिपि :-

1. सीनियर प्रिंसिपल सिस्टम एनालिस्ट (एस.ए.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
2. असि. रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर,
3. सहायक वेतन पत्रक/सेवापुस्तिका/अवकाश/प्रोटोकॉल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
4. दो अतिरिक्त प्रति सहित आफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
5. सविता धुर्वे, नवगठित सेवा के सदस्य, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


(संजय कुमार सिंह)
रजिस्ट्रार (प्रशा.)